एक राष्ट्र, एक चुनाव: सुधार या भारत के संघीय लोकतंत्र के लिए जोखिम?

UPSC प्रासंगिकता - प्रारंभिक परीक्षा: संविधान के अनुच्छेद 83, 172, 356, 112, 116, भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका मुख्य परीक्षा - GS II: संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, संवैधानिक संशोधन; GS IV: नैतिक शासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों?

- भारत में एक साथ चुनाव कराने, जिसे लोकप्रिय रूप से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) के रूप में जाना जाता है, पर बहस 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024' के पेश होने के बाद तेज हो गई है।
- यह प्रस्ताव लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ जोड़ने (synchronise) का प्रयास करता है।
- हालाँकि, कई राजनीतिक नेताओं और संवैधानिक विशेषज्ञों का तर्क है कि यह सुधार संघवाद को कमजोर कर सकता है, संसदीय जवाबदेही को कम कर सकता है और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को बिगाड़ सकता है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

पृष्ठभूमि: एक साथ चुनाव का विचार

- भारत ने स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों (1951-1967) में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित किए थे।
- राजनीतिक अस्थिरता के कारण कई राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के बाद यह चक्र टूट गया।
- हाल के वर्षों में, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित चिंताओं को दूर करने के लिए इस विचार को पुनर्जीवित किया है:
    - आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) का बार-बार लागू होना
    - उच्च चुनावी खर्च
    - निरंतर राजनीतिक प्रचार
- इसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए, केंद्र सरकार ने राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया, जिसने एक साथ चुनाव कराने के लिए संवैधानिक संशोधनों का प्रस्ताव दिया।

वैश्विक अनुभव: अन्य लोकतंत्रों से सबक

तुलनात्मक संवैधानिक अभ्यास महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

इंडोनेशिया का अनुभव

- इंडोनेशिया में, चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रपति और कई विधायी निकायों के लिए एक साथ चुनाव शुरू किए गए थे।
- हालाँकि, अनुभव समस्याग्रस्त रहा:
    - **2019 के चुनाव:** प्रशासनिक ओवरलोड के कारण लगभग 900 चुनाव कर्मियों की मृत्यु हो गई और 5,000 से अधिक बीमार हो गए।
    - **2024 के चुनाव:** 100 से अधिक मौतों और 15,000 बीमारियों की सूचना मिली।
- परिणामस्वरूप, इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत ने फैसला सुनाया कि 2029 से राष्ट्रीय और स्थानीय चुनाव फिर से अलग-अलग आयोजित किए जाने चाहिए।

अन्य लोकतंत्रों में प्रथाएं

- अधिकांश संघीय लोकतंत्र स्वतंत्र चुनावी चक्र बनाए रखते हैं:
    - **कनाडा** में, संघीय और प्रांतीय चुनाव अलग-अलग होते हैं।
    - **ऑस्ट्रेलिया** में, अलग-अलग विधायी कार्यकालों के कारण एक साथ चुनाव संरचनात्मक रूप से असंभव हैं।
    - **जर्मनी** में, संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य के चुनाव जानबूझकर अलग-अलग समय पर कराए जाते हैं।
- इस प्रकार, वैश्विक संवैधानिक अभ्यास जबरन चुनावी तालमेल (forced synchronisation) के पक्ष में नहीं है।

प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं

'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024' बड़े संरचनात्मक बदलावों का प्रस्ताव करता है।

IAS PCS Institute
Result Mitra
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

1. अनुच्छेद 82A की शुरुआत

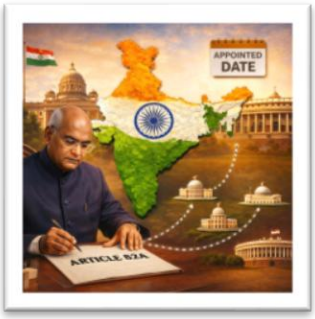

- संशोधन अनुच्छेद 82A पेश करता है, जो भारत के राष्ट्रपति को एक "नियुक्त तिथि" अधिसूचित करने की अनुमति देता है जिससे सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल लोकसभा चक्र के साथ संरेखित (align) हो जाएंगे।

2. राज्य विधानसभा के कार्यकाल में कटौती

IAS-PCS Institute

- इस तिथि के बाद गठित विधानसभाओं का कार्यकाल राष्ट्रीय चुनावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कम किया जा सकता है।

3. शेष-कार्यकाल चुनाव (Unexpired-Term Elections)

- यदि कोई विधायिका समय से पहले भंग हो जाती है:
  - नवनिर्वाचित विधायिका पूर्ण पांच साल के जनादेश के बजाय केवल मूल कार्यकाल की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी।

4. चुनाव आयोग के विस्तारित अधिकार

Result Mitra
रिजल्ट का साथी

- यदि एक साथ चुनाव संभव नहीं हैं, तो भारत निर्वाचन आयोग राज्य चुनावों को स्थगित करने की सिफारिश कर सकता है।

9235440806

इन प्रावधानों के लिए संविधान के **अनुच्छेद 83, 172 और 327** में संशोधन की आवश्यकता है।

संवैधानिक चिंताएं

आलोचकों का तर्क है कि ONOE भारत की संसदीय प्रणाली को मौलिक रूप से बदल सकता है।

1. विधायी जवाबदेही को कमजोर करना

- भारत एक संसदीय प्रणाली का पालन करता है, जहाँ सरकारें तभी तक सत्ता में रहती हैं जब तक उनके पास विधायी विश्वास होता है।
- यह सिद्धांत इसमें परिलक्षित होता है:
  - **अनुच्छेद 75:** केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी।

- **अनुच्छेद 164:** राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी।

- प्रस्तावित प्रणाली समय से पहले विघटन को एक लोकतांत्रिक सुरक्षा उपाय के बजाय एक प्रशासनिक असुविधा के रूप में देखती है।

[Image showing the concept of collective responsibility of the Council of Ministers to the Legislature under Articles 75 and 164]

IAS-PCS Institute

2. संघवाद के लिए खतरा

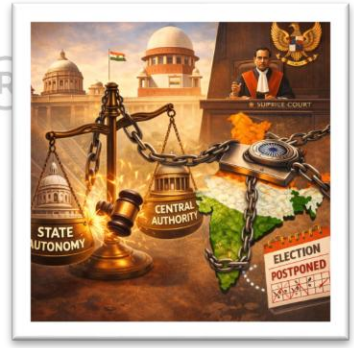

- ऐतिहासिक **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ** मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संघवाद को संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) के हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है।
- हालाँकि, ONOE संघीय स्वायत्तता को बाधित कर सकता है:
  - राज्य विधानसभा के कार्यकाल में कटौती करके।
  - राज्य के जनादेशों को राष्ट्रीय राजनीतिक चक्रों के साथ जोड़कर।
  - केंद्रीय प्राधिकरण के तहत चुनाव स्थगन की अनुमति देकर।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

3. लोकतांत्रिक जनादेश का विरूपण

- "शेष-कार्यकाल चुनाव" की अवधारणा कई चिंताएं पैदा करती है:
  - **मताधिकार का अवमूल्यन:** मतदाता कम कार्यकाल वाली सरकारों को चुन सकते हैं।
  - **शासन की अस्थिरता:** कम कार्यकाल वाली सरकारें संरचनात्मक सुधारों के बजाय अल्पकालिक लोकलुभावनवाद को प्राथमिकता दे सकती हैं।
  - **मतदाता उदासीनता:** बार-बार होने वाले आंशिक जनादेश चुनावी भागीदारी को कम कर सकते हैं।

4. शासन में गतिरोध की संभावना

- संशोधन ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है जहाँ शासन कानूनी रूप से जटिल हो जाए।
- उदाहरण के लिए, राज्य स्तर पर चुनाव में देरी से **राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)** लंबा खिच सकता है।
- संघ स्तर पर, कार्यवाहक सरकारें **अनुच्छेद 112** के तहत पूर्ण केंद्रीय बजट पारित करने के लिए संघर्ष कर सकती हैं, और केवल **अनुच्छेद 116** के तहत 'लेखानुदान' (Vote on Account) पर निर्भर रह सकती हैं।

क्या चुनाव लागत एक मजबूत औचित्य है?

ONOE के समर्थक अक्सर चुनावों की उच्च लागत का हवाला देते हैं। हालाँकि, आधिकारिक अनुमान बताते हैं कि आर्थिक बोझ अपेक्षाकृत कम है:

- संयुक्त लोकसभा और विधानसभा चुनाव लागत: लगभग ₹4,500 करोड़ (2015-16)।
- केंद्रीय बजट का हिस्सा: लगभग **0.25%**।
- GDP का हिस्सा: लगभग **0.03%**। आलोचकों का तर्क है कि वित्तीय बचत इतने बड़े संवैधानिक पुनर्गठन का औचित्य साबित नहीं करती है।

आगे की राह

देश भर में चुनावों को एक साथ जोड़ने के बजाय, भारत वैकल्पिक सुधारों पर विचार कर सकता है:

- **चुनावी प्रबंधन को मजबूत करना:** राज्यों में चुनावों के लॉजिस्टिक समन्वय में सुधार करना।
- **चुनावी खर्च कम करना:** पारदर्शिता और राजनीतिक फंडिंग सुधारों को सख्ती से लागू करना।
- **चुनाव कार्यक्रम का युक्तिकरण:** पूर्ण तालमेल के बिना चरणों में चुनावों को क्लस्टर (समूहित) करना।
- **संघीय परामर्श बढ़ाना:** संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले सुधारों से पहले राज्यों के साथ आम सहमति बनाना।

निष्कर्ष

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का प्रस्ताव भारत की चुनावी प्रणाली में प्रशासनिक और वित्तीय चिंताओं को दूर करना चाहता है। हालाँकि, यह सुधार गंभीर संवैधानिक और संघीय प्रश्न उठाता है। एक संसदीय संघीय लोकतंत्र में, चुनाव केवल प्रशासनिक अभ्यास नहीं हैं बल्कि जवाबदेही के उपकरण हैं। इसलिए, किसी भी सुधार को प्रशासनिक सुविधा पर संवैधानिक सिद्धांतों, लोकतांत्रिक भागीदारी और संघीय स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिज़ल्ट का साथी

अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

प्रश्न 1. भारत में **'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election - ONOE)** के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस प्रस्ताव का उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का है।
2. इस प्रस्ताव में "अवशिष्ट अवधि के चुनाव" (Unexpired-term elections) का प्रावधान शामिल है, जिसमें नव-निर्वाचित विधानमंडल केवल पूर्व कार्यकाल की शेष अवधि तक ही कार्य करेगा।
3. वर्तमान में संविधान यह अनिवार्य करता है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव हमेशा एक साथ ही कराए जाएँ।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर: B

प्रश्न 2. '**एक राष्ट्र, एक चुनाव**' (ONOE) ढाँचे को लागू करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है?

1. अनुच्छेद 83
2. अनुच्छेद 172
3. अनुच्छेद 327
4. अनुच्छेद 368

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A. केवल 1 और 2
B. केवल 1, 2 और 3

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

C. केवल 2, 3 और 4

D. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: B

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (GS-II)

प्रश्न: "**एक राष्ट्र, एक चुनाव**" का प्रस्ताव चुनावी दक्षता (electoral efficiency) को सुधारने का प्रयास करता है, किंतु यह संघवाद, संसदीय जवाबदेही और लोकतांत्रिक जनादेश से संबंधित गंभीर चिंताएँ भी उत्पन्न करता है। **आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।** *(250 शब्द)*

IAS PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806